<u>अज अदालत नायब तहसीलदार जालोर</u>

सरकार जरिये पटवारी हल्का साफाड़ा बनाम रगाराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी साफाड़ा मुकदमा नम्बर 71/2017 अन्तर्गत धारा 91 आर एल आर एक्ट 1956

<u>निर्णय</u>

दिनांक 08-2-2018

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल हाजिर। जो किसी भी प्रकार का साक्षी/सबूत प्रस्तुत करना नही चाहता है। अतः गैर सायल की सहादत बंद की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मामले में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का साफाड़ा द्वारा संवत् 2074 की रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया गया है कि गैर सायल द्वारा मौजा साफाड़ा के खसरा न. 272 रकबा 1.76 है0, किस्म गै०मु० नदी पर नाजायज तौर से अतिक्रमण कर बाड़ा बनाया है। रिपोर्ट के आधार पर मामला धारा 91 आर एल आर 1956 के तहत् दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को धारा 91(3) के तहत् नोटिस तलब किया गया । सुनवाई के दौरान गैर सायल की और से किसी भी प्रकार का साक्ष्य सबूत पेश करना नही चाहता है। उक्त आराजी का अतिक्रमी घोषित किया जाकर भौतिक रूप से बेदखली का आदेश दिया जाता है। वार्षिक लगान 6.00 रूपये का 50 गुणा जुर्माना अंको में 300/- रूपये अक्षरे तीन सौ मात्र बतोर गैर सायल पर आरोपित किया जाते है। पटवारी हल्का को वसूली एवं भौतिक रूप से बेदखली करने हेतु लिखा जावें एवं जुर्माना मांग रा.ले. सं 4 में दर्ज करायी जावे मिसल बाद तामिल फैसला सुंमार होकर नम्बर से कम दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08-2-2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

नायब तहसीलदार जालोर

(पुखाराम मीणा)